पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

ईश्वरा चंद्र शर्मा

2022 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 584

23 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या आवेदक को बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में दी गई पूर्व सेवा की गणना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है ताकि वह सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन प्राप्त कर सके या नहीं?
- क्या आवेदक की सेवा की विशिष्टताएँ मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह के समकक्ष हैं या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—सेवानिवृत्ति लाभ—प्रतिक्रियाकर्ता को न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान किए गए—प्रतिक्रियाकर्ता को तत्कालीन बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने सेवा में शामिल किया था—इस बीच, बिहार राज्य ने विभिन्न बोर्डों और निगमों में कार्यरत अधिशेष कर्मचारियों के आत्मसात करने संबंधी नीति निर्णय विकसित किया—कई न्यायिक प्रक्रियाओं के बाद, प्रतिक्रियाकर्ता का आत्मसात किया गया—अपीलकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभ और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देते समय निगम में प्रतिक्रियाकर्ता द्वारा सेवा को नहीं माना—धारा-3 यह निर्धारण करता है कि प्रतिक्रियाकर्ता के आत्मसात के लिए उसके सेवा विवरण के साथ नई पेंशन योजना के संबंध में होगा—जब प्रतिक्रियाकर्ता को मुक्त किया गया था, तब पुरानी बिहार पेंशन योजना कानून की दृष्टि में अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि उस समय नई पेंशन योजना प्रचलित थी।

निर्णीतः मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह और अन्य, जो बोर्ड या निगम में कार्यरत थे, उनकी सेवाएँ राज्य सरकार के विभाग में भेजी गई हैं—इसलिए, न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि वे एक दशक से अधिक लंबे समय तक कर्तव्य पर थे—उस समय को ध्यान में रखते हुए उनकी सोर्सिंग की गई थी, जब उन्होंने संबंधित निगम या बोर्ड में सेवा दी—प्रतिवादी किसी भी विभाग में नहीं भेजे गए थे और उन्होंने अपने नियुक्ति की तारीख से लेकर निगम से मुक्त होने तक निगम में लगातार काम किया—प्रतिवादी की सेवाएँ पूर्वव्यापी दिनांक से अवशोषित नहीं की गई हैं, अर्थात् नए पेंशन योजना की शुरुआत के एक दिन पहले, प्रतिवादी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह 2005 में नए पेंशन योजना की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाती है—सीखने वाले एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किया गया—अपील मंजूर की गई। (पैराग्राफ 7 और 9)

न्याय दृष्टान्त

मुख्तेश्वर प्रसाद सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, LPA संख्या 716 वर्ष 2017—विशिष्ट किया गया।; सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11654/2018—रद्द किया गया।

अधिनियमों की सूची

पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना

मुख्य शब्दों की सूची

पुराना पेंशन योजना, नया पेंशन योजना, अवशोषण, प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन.

प्रकरण से उत्पनन

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 11654/2018

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री म.एन.एच.खान, एससी-1; श्री मुहम्मद. इरशाद, एससी-1 के लिए एसी।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री प्रभात रंजन, अधिवक्ता; श्री अंजू मिश्रा, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2018 दीवानी रिट याचिका सं. 11654
में
2022 लेटर्स पेटेंट अपील सं. 584

==========

1. बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
6. सिविल सर्जन-सह-प्रधान चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
7. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मुजफ्फरपुर।
8. जिला कुष्ठ रोग पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

.....अपीलकर्ताओं

बनाम

ईश्वर चंद्र शर्मा, पिता – कृष्ण शर्मा, स्थायी निवासी – ग्राम अहलादपुर, डाकघर – हरिदासपुर, थाना – कांटी, जिला – मुजफ्फरपुर।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/गण के लिए : श्री एम.एन.एच. खान, एससी -1
श्री मो. इरशाद, एसी से एससी-1

प्रतिवादी/गण के लिए : श्री प्रभात रंजन, अधिवक्ता
श्रीमती अंजू मिश्रा, अधिवक्ता

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. पी.डी. सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

दिनांक : 23-04-2025

राज्य अपीलार्थियों ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.07.2022 को सिविल रिट याचिका संख्या 11654/2018 में पारित आदेश को चुनौती दी है। प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा की शिकायत यह है कि क्या उन्हें बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में की गई सेवा की गणना करते हुए सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है या नहीं?

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ईश्वर चंद्र शर्मा को 28.03.1977 को तत्कालीन बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 15.05.1977 को सेवा में जॉइन किया। 05.05.1979 को बिहार राज्य ने बिहार राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों में काम करने वाले अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन से संबंधित एक नीतिगत निर्णय लिया। यह पता चला है कि प्रतिवादी के मामले को वर्ष 1990 में समायोजन के लिए संसाधित किया गया था। हालांकि यह प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं ले सकी, परिणामस्वरूप प्रतिवादी ने सिविल रिट याचिका संख्या 4438 / 1995 दायर की, जिसे यह कहकर निष्पादित किया गया कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवादी का वह अभ्यावेदन दिनांक 04.09.1996 को अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात प्रतिवादी ने पुनः नागरिक रिट याचिका संख्या 11141 / 1996 दायर की। इसमें स्वास्थ्य आयुक्त का दिनांक 04.09.1996 का आदेश रद्द कर दिया गया और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को प्रतिवादी की समायोजन संबंधी शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने प्रतिवादी के नाम पर समायोजन हेतु विचार करना आरंभ किया। इसी प्रकार का विचार

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा भी दिनांक 07.03.2013 को लिया गया। इसके उपरांत, 13.03.2013 को निदेशक द्वारा प्रतिवादी के समायोजन का आदेश जारी किया गया। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिवादी की सेवाएँ बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड से मुक्त कर दी गईं और उन्होंने 23.03.2013 को मुजफ्फरपुर सर्जेसी में स्वास्थ्य विभाग में सेवा में योगदान दिया। तत्पश्चात, उन्होंने 30.09.2015 को सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त कर सेवा से सेवानिवृत्ति ग्रहण की। इस पृष्ठभूमि में, निगम में की गई प्रतिवादी की सेवाओं को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन की गणना में न जोड़े जाने के कारण, प्रतिवादी ने न्यायिक उपाय के रूप में सिविल रिट याचिका संख्या 11654 / 2018 दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार कर लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.07.2022 को सिविल रिट याचिका संख्या 11654 / 2018 में पारित आदेश से व्यथित होकर, राज्य-अपीलकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

3. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का मामला पूर्ववर्ती मुकदमों में जैसे कि ***मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*** (लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 716/2017) के मामले के समरूप नहीं है। मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य, जो निगम या बोर्ड में कार्यरत थे, उन्हें वर्ष 1997 में प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न राज्य सरकार के विभागों में भेजा गया था। उस प्रसंग में, उन्हें (मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य को) पूर्व की तिथि से समावेश का लाभ प्रदान किया गया था। जबकि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ईश्वर चंद्र शर्मा, जो बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत थे, उन्हें किसी भी सरकारी विभाग में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। अतः, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा जिस निर्णय का उल्लेख किया गया और उस आधार पर प्रतिवादी ईश्वर चंद्र शर्मा को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया, वह त्रुटिपूर्ण है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जब प्रतिवादी – ईश्वर

चंद्र शर्मा का समायोजन किया गया, उस समय नई पेंशन योजना वर्ष 2005 में लागू हो चुकी थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी का समावेश वर्ष 2013 में हुआ, उस समय पूर्ववर्ती पेंशन योजना विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं थी। अतः, अप्रचलित विधिक प्रावधान का सहारा लेकर सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः, समायोजन के आदेश में प्राधिकारी द्वारा सही रूप में प्रतिवादी को यह संदेश दिया गया कि उन पर नई पेंशन योजना ही लागू होगी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में की गई सेवा को पुरानी बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति एवं पेंशन लाभ की गणना के लिए नहीं जोड़ा जा सकता। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के समायोजन का मामला वर्ष 1990 में प्रक्रियाधीन था। उन्होंने दो अवसरों पर इस माननीय न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 4438 / 1995 एवं सिविल रिट याचिका संख्या 11141 / 1996 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपचार का आह्वान किया। इसके उपरांत, मार्च 2013 में समायोजन का आदेश पारित किया गया। अतः, प्रतिवादी को बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में की गई पूर्व सेवा की गणना करते हुए, सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन प्रदान किए जाने का उसी प्रकार अधिकार है जैसे अन्य कर्मचारियों को मिला है।

5. संबंधित पक्षों के लिए अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं ।

6. वर्तमान विवाद में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी-ईश्वर चंद्र शर्मा को बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व में की गई सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन प्राप्त करने के लिए गणना करने का लाभ प्राप्त है या नहीं? क्या प्रतिवादी-ईश्वर

चंद्र शर्मा की सेवा विवरण मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह के समकक्ष है या नहीं? तिथियाँ और घटनाएँ इस हद तक विवादित नहीं हैं कि प्रतिवादी की बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में 1977 में नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों में कार्यरत अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में एक नीति निर्णय लिया था। प्रतिवादी का समायोजन के लिए मामला 1990 में प्रक्रिया में लाया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समायोजन के उद्देश्य से 1995 और 1996 में इस न्यायालय से पहले दो बार संपर्क किया था। इसके बाद, पहली बार, उनकी सेवाओं को मार्च 2013 में अवशोषित किया गया। समायोजन आदेश दिनांक 13.03.2013 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो याचिका के पृष्ठ संख्या 62 पर है और वह निम्नलिखित रूप से है:-

" निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं,
बिहार पटना
<u>आदेश</u>

आ0 सं0-4/ विविध-6-88 / 2011-611(4)/ पटना, दिनांक-13.3.13

समादेश याचिका सं0 4438/95 एवं 1141/96 में क्रमशः 15.09.95 एवं 23.11.10 में पारित न्यायादेश तथाह उसके अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के अनुपालन में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 578(4) दिनांक 07.03.13 के द्वारा तिरेक घोषित कर्मचारी श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा (जन्म तिथि 26.09.1955) टंकक, बिहार स्टेट कन्स्टंक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को नन मेडिकल असिस्टेन्ट (वर्ग तीन) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में बिहार स्टेट कन्स्टंक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा घोषित अतिरेक कर्मचारी श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, पिता- श्री कृष्ण शर्मा, ग्राम-अहलादपुर, पो0- हरिदासपुर, थाना- कॉटी, जिला-मुजफ्फरपुर को सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के अधीन प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कुठनी में नन मेडिकल असिस्टेन्ट के रिक्त पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 के प्रक्रम में एवं सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ निम्नांकित

शर्तों पर अस्थायी रूप से समायोजित किया जाता है। उनके वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से देय होगा।

1. योगदान के समय श्री शर्मा को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है।

3. दिनांक 01.09.05 से पेंशन की नई स्कीम लागू हो गयी है। श्री शर्मा के मामलों में भी वहीं पेंशन स्कीम लागू होगी।

4. योगदान के लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा एवं योगदान करने की तिथि से ही उनकी नियुक्ति मान्य होगी।

5. आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान देना होगा नहीं तो योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

6. श्री शर्मा के वेतन का भुगतान उनके प्रथम वेतन विपत्र अधोहस्ताक्षरी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरांत ही किया जायेगा।

ह0/-

(डा0 सुरेन्द्र प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

ज्ञापांक-611(4) / पटना, दिनांक -13.3.13

प्रतिलिपि- सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके आदेश सं0 8403 दिनांक 26.07.11 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट कन्स्टंक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ख्वाजा ईमली, अनिवसाबाद, पटना-800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, टंकक, बिहार स्टेट कन्स्टंक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ख्वाजा ईमली, अनिसाबाद, पटना-800002 स्थायी पता- ग्राम- अहलादपुर, पो0-हरिदासपुर, थाना-कॉटी, जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना"

<u>रेखांकित की गई</u>

7. उपखंड-3 में यह विनिर्दिष्ट है कि प्रतिवादी का समायोजन, उनकी सेवा विवरण के साथ पठनीय, नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत होगा। प्रतिवादी– ईश्वर चंद्र शर्मा ने उपर्युक्त उपखंड-3 को चुनौती नहीं दी है, और न ही उस समायोजन आदेश को, जिस हद तक उन्हें मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह के समकक्ष, अर्थात् जिस तिथि को उनकी सेवाएं समायोजित की गई हैं, उस पर समायोजन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा का मामला मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह से तुलनीय नहीं है, क्योंकि मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह तथा अन्य, जो बोर्ड या निगम में कार्यरत थे, उनकी सेवाओं को वर्ष 1997 में राज्य सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। अतः, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वे लोग एक दशक से भी अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में, संबंधित निगम या बोर्ड में की गई सेवा की गणना करते हुए समायोजन का निर्देश

दिया गया था। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा को किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था, और उन्होंने अपनी नियुक्ति की तिथि अर्थात् 28.03.1977 से लेकर निगम से कार्यमुक्त होने की तिथि 20.03.2013 तक निरंतर रूप से बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्य किया। यह उल्लेखनीय है कि 20 मार्च 2013 की स्थिति में पुरानी बिहार पेंशन योजना विधिक दृष्टि से अस्तित्व में नहीं थी। 20 मार्च 2013 को जो योजना प्रचलित थी, वह थी नवीन पेंशन योजना, जिसे वर्ष 2005 में लागू किया गया था। जब तक प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा की सेवाओं का समायोजन पूर्व प्रभाव से अर्थात् नवीन पेंशन योजना के लागू होने की तिथि से एक दिन पूर्व नहीं किया गया है, तब तक प्रतिवादी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना का अस्तित्व उसी समय समाप्त हो गया था जब नवीन पेंशन योजना वर्ष 2005 में लागू की गई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा न तो संज्ञान में लिए गए और न ही उनका समुचित अवलोकन किया गया। दूसरे शब्दों में, सेवा विवरण की तुलना मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह और प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा के संदर्भ में की जानी चाहिए थी। सेवा विवरण की तुलना के अभाव में, प्रतिवादी – ईश्वर चंद्र शर्मा यह सिद्ध नहीं कर सके कि वे बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 15.05.1977 से 23.03.2013 तक की गई सेवा तथा 23.03.2013 से 30.09.2015, अर्थात् जब वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए, तक की सेवा की गणना के लिए पात्र हैं। अतः, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु एक न्यायसंगत आधार प्रस्तुत किया है।

8. तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 19.07.2022 को सिविल रिट याचिका संख्या 11654 /2018 में पारित आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 11654 / 2018 को अस्वीकृत किया जाता है।

9. तदनुसार, 2022 की वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 584 को स्वीकृति दी जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(एस.बी. पी.डी सिंह, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।